भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2994
दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

कार्बन न्यूनीकरण में सीसीयूएस का योगदान

†2994. डॉ. शशि थरूरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रमुख उद्योगों में वर्तमान में प्रचालनरत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) परियोजनाओं की संख्या और वितरण क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान दिया है और यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में हासिल की गई कमी के अनुमानित लक्ष्य (एमटी CO_2 समतुल्य में) का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आर्थिक प्रभाव और रोजगार सृजन के संदर्भ में सतत विकास और आत्मनिर्भर भारत के लिए सीसीयूएस के योगदान के अनुमान क्या हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख): कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) प्रौद्योगिकियाँ वर्तमान में देश में प्रारंभिक अवस्था में हैं और विकास के चरण में हैं। कुछ उद्योगों ने वर्तमान में चालू पायलट या प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए पहल की है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) एनटीपीसी लिमिटेड ने हाल ही में विद्युत क्षेत्र में एनटीपीसी विंध्याचल, मध्य प्रदेश में 6,000 मीट्रिक टन (एमटी) की वार्षिक क्षमता वाले 10 मीट्रिक टन प्रति दिन (टीपीडी) कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र वाली एक पायलट परियोजना शुरू की है।

(ii) मैसर्स तूतीकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएएफएल), तमिलनाडु ने रासायनिक क्षेत्र में सालाना 60,000 मीट्रिक टन तक CO_2 को कैप्चर करने की क्षमता वाली सीसीयूएस सुविधा स्थापित की है।

(iii) मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील, महाराष्ट्र के सालाव में एक डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) यूनिट का संचालन करती है, जहाँ इस्पात क्षेत्र में 500 टन प्रतिदिन तक की क्षमता वाली प्रक्रिया गैस से CO_2 को अलग करने के लिए CO_2 कैप्चर की व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने भी उद्योग-अकादमिक सहयोग के माध्यम से वास्तविक औद्योगिक परिवेश में छोटे पैमाने पर कार्बन कैप्चर और उपयोग (सीसीयू) प्रौद्योगिकियों के सत्यापन और कार्यान्वयन के लिए अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) स्तर पर या पायलट स्तर पर विभिन्न परियोजनाएँ शुरू की हैं।

(ग) : देश में औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम बनाने में सीसीयूएस से एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाने की उम्मीद है, जो वर्ष 2070 तक 'नेट ज़ीरो' प्राप्त करने के राष्ट्र के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। सीसीयूएस, स्वदेशी अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देकर आयातित प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करता है। सीसीयूएस, प्रौद्योगिकियों का एकीकरण एक चक्रीय कार्बन अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे सकता है, जिसमें संचित कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेटिक ईंधन, उर्वरक, निर्माण सामग्री और औद्योगिक गैसों जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों में पुन: उपयोग किया जाता है। यह दृष्टिकोण न केवल संसाधन दक्षता को बढ़ावा देता है, बल्कि स्वदेशी नवाचार को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप भी है।

सीमेंट, बिजली और रसायन आदि जैसे कठिन-से-कम कठिन क्षेत्रों में सीसीयूएस प्रौद्योगिकी की तैनाती से निवेश को प्रोत्साहित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और उच्च-कुशल क्षेत्रों में संभावित रूप से रोजगार सृजन में मदद मिलने की उम्मीद है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नवाचार-संचालित वित्तपोषण मॉडल देश में सीसीयूएस के कार्यान्वयन में तेजी लाने की कुंजी हैं।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3010
दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विद्युत क्षेत्र की दक्षता और स्थिरता बढ़ाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना

†3010. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्रीमती शांभवीः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
श्री राजेश वर्माः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की क्या करेंगे किः

(क) क्या सरकार दक्षता और सततता बढ़ाने के लिए विद्युत क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या विशिष्ट पहल की गई है;

(ग) क्या सरकार इस क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए निजी उद्योग और स्टार्टअप के साथ सहयोग कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बेहतर ऊर्जा प्रबंधन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड समाधानों को एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या विद्युत क्षेत्र को आर्थिक विकास का प्रमुख वाहक बनाने के लिए कोई नीतिगत प्रोत्साहन शुरू किए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) के माध्यम से विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु विद्युत क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास स्कीम की शुरूआत की हैं। यह स्कीम शैक्षणिक संस्थानों, उद्योगों और यूटिलिटी के सहयोग से आवश्यकता-आधारित, अनुप्रयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है, जिसका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की वास्तविक चुनौतियों का समाधान करना है। इन स्कीमों के अंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रिड

में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग अवसंरचना का विकास, और उन्नत निगरानी एवं नियंत्रण प्रणालियों के माध्यम से विद्युत गुणवत्ता में सुधार सहित कई परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, उत्सर्जन को कम करने के लिए तापविद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास की को-फायरिंग को सक्षम बनाने, साथ ही विद्युत ग्रिड को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी रूपरेखा को सुदृढ़ करने की दिशा में अनुसंधान प्रयास किए गए हैं। ये परियोजनाएँ सामूहिक रूप से भारत में एक अधिक दक्ष, सुरक्षित और सतत विद्युत क्षेत्र के निर्माण में योगदान देती हैं।

(ग) : भारत सरकार विद्युत क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निजी उद्योग और स्टार्टअप्स के साथ सहयोग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। अनुसंधान एवं विकास स्कीम की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) घटक के अंतर्गत, उद्योग और स्टार्टअप्स के साथ संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इस सहयोगात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना और उन्हें उच्च प्रौद्योगिकी तत्परता स्तरों (टीआरएल) तक उन्नत करना है, जिससे दुनिया के वास्तविक अनुप्रयोगों में उनके व्यावहारिक उपयोग का मार्ग प्रशस्त हो सके।

इसके अलावा, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए, व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, एमएसएमई आदि सहित प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाताओं (टीएसपी) को शामिल करके प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों की पहचान, पोषण और विस्तार हेतु 'पॉवरथॉन' पहल शुरू की गई है।

(घ) : विद्युत मंत्रालय ने बेहतर ऊर्जा प्रबंधन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और स्मार्ट ग्रिड समाधानों को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित व्यापक कदम उठाए हैं:

i. सौर-पवन हाइब्रिड परियोजनाएँ, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बैटरी ऊर्जा भंडारण सहित) वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के साथ संतुलित नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति जैसे नवीन उत्पाद शुरू किए गए हैं ताकि बाधाओं को कम किया जा सके।

ii. ग्रिड संतुलन की सुगमता के लिए तापविद्युत संयंत्रों के अनुकूल संचालन का कार्यान्वयन।

iii. वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण हेतु पारेषण योजना विकसित की गई है, जिसमें अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) नवीकरणीय ऊर्जा स्कीमों का अंत: राज्यीय नेटवर्क के साथ मजबूत अंतर्संबंध भी शामिल है ताकि एंकरिंग वोल्टेज स्थिरता, कोणीय स्थिरता, हानि में कमी आदि के संदर्भ में बेहतर विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

iv. ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) के विकास हेतु रूपरेखा जारी की गई है।

v. ग्रिड स्रोतों में बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के सुचारू एकीकरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) स्थापित किए गए हैं। सिस्टम ऑपरेटरों ने इन नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों (आरआएमसी) का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के पूर्वानुमान और समय-निर्धारण के लिए यथासंभव सर्वोत्तम सीमा तक करना शुरू कर दिया है।

vi. एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री की सुगमता के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) एवं हरित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापार की सुगमता के लिए ग्रीन डे-अहेड मार्केट तथा नवीकरणीय ऊर्जा की रुकावट और माँग में बदलाव को प्रबंधित करने के लिए रीयल-टाइम मार्केट शुरू किए गए हैं।

vii. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 30.06.2025 तक चालू सौर और पवन परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस शुल्क में छूट दी गई है, जिसमें दिनांक 01.07.2028 से शुल्क में क्रमिक वृद्धि के साथ पूर्ण आईएसटीएस शुल्क शामिल हैं। दिनांक 31.12.2032 तक चालू अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आईएसटीएस शुल्क में 25 वर्षों के लिए छूट दी गई है।

viii. बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) को बढ़ावा देने के लिए, लगभग 43 गीगावाट घंटे की बीईएसएस क्षमता के लिए वीजीएफ स्कीम शुरू की गई हैं।

ix. जून, 2028 तक चालू होने वाली बीईएसएस परियोजनाओं, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ स्थित हैं तथा हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी), जिनका निर्माण कार्य जून 2028 तक अवार्ड किया जाना है, से प्राप्त विद्युत के लिए आईएसटीएस शुल्क में छूट बढ़ा दी गई है।

(ङ) : विद्युत क्षेत्र आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक है। वर्तमान में, देश की कुल अंतिम ऊर्जा खपत में विद्युत का योगदान लगभग 22% है। पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर अब 484.8 गीगावाट कर दिया गया है।

विद्युत क्षेत्र को आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक बनाने के उद्देश्य से व्यापक नीतिगत प्रोत्साहन इस प्रकार हैं:

i. आय और रोज़गार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युत क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम पहले ही शुरू किया जा चुका है।

ii. व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में 13.2 गीगावाट घंटा क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों (बीईएसएस) के विकास को मंजूरी दी गई है। 10.7 गीगावाट घंटा के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 5.7 गीगावाट घंटा के लिए संविदा प्रक्रिया की जा चुकी है।

iii. उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगावाट (जीडब्ल्यू) स्तर की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने हेतु उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को मंजूरी दी गई है।

iv. पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) - इस स्कीम में कृषि सौर पंपों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना है।

v. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय स्कीम है जिसका उद्देश्य भारत के उन एक करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है जो रूफ-टॉप सौर ऊर्जा यूनिट संस्थापित करना चाहते हैं। इस स्कीम के परिणामस्वरूप आवासीय क्षेत्र में रूफ-टॉप सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावाट सौर क्षमता का सृजन होगा। अनुमान है कि इस स्कीम से विनिर्माण, रसद, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, परिचालन एवं रखरखाव और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

vi. सरकार सक्षम अवसंरचना की लागत के लिए बजटीय सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें शामिल हैं: i) सड़कों और पुलों का निर्माण (ii) पावर हाऊस से निकटतम पूलिंग बिंदु तक पारेषण लाइन, जिसमें राज्य/केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी के पूलिंग सबस्टेशन का उन्नयन शामिल है (iii) रोपवे (iv) रेलवे साइडिंग, और (v) संचार अवसंरचना। परियोजना तक पहुँचने वाली मौजूदा सड़कों/पुलों का सुदृढ़ीकरण भी इस स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के पात्र हैं। वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 की अवधि के लिए इस स्कीम का कुल परिव्यय ₹12,461 करोड़ है।

vii. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को राज्य संस्थाओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम (जेवी) सहयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु उनकी इक्विटी भागीदारी हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करने संबंधी स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के इक्विटी हिस्से को वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है (कुल परियोजना इक्विटी के 24% तक सीमित, प्रति परियोजना अधिकतम ₹750 करोड़ तक)। इस स्कीम का परिव्यय ₹4136 करोड़ है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3047

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

पीएटी के अंतर्गत पंजीकृत नामित उपभोक्ता

†3047. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोल्हापुर जिले में प्रदर्शन-प्राप्ति-प्रचालन (पीएटी) योजना के अंतर्गत पंजीकृत नामित उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या हातकणंगले में किसी चीनी मिल या वस्त्र इकाई ने ऊर्जा दक्षता प्रमाणपत्र (ईएससीईआरटी) अर्जित किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रमाणपत्रों को बेचने के लिए उपलब्ध व्यापारिक मंच का ब्यौरा क्या है और उसके बाजार में प्रदर्शन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पीएटी योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऊर्जा-दक्ष पद्धतियाँ अपनाने के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : कोल्हापुर जिले से तीन (03) नामित उपभोक्ता (डीसी) अधिसूचित हैं।

(ख) : हातकणंगले में पीएटी स्कीम के अंतर्गत कोई चीनी मिल या कपड़ा यूनिट अधिसूचित नहीं है।

(ग) : इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज नामक तीन व्यापार प्लेटफॉर्म ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ईएससी) बेचने के लिए उपलब्ध हैं।

(घ) : पीएटी स्कीम के अंतर्गत, एमएसएमई सहित किसी भी श्रेणी की संस्थाओं को ऊर्जा दक्ष पद्धतियों को अपनाने के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाता है।

****

pभारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3079

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

†3079. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के गांवों और घरों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो ग्रामीण विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है; और

(घ) विद्युत वितरण अवसंरचना में सुधार और घाटे को कम करने के लिए पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता की है, ताकि सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी गैर-विद्युतीकृत आबाद गांवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत और उसके बाद सौभाग्य के दौरान, जैसा कि राज्यों द्वारा बताया गया है, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। सौभाग्य के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को और सहायता प्रदान कर रही है। इसमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान) के अंतर्गत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घरों,

डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय घरों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के घरों और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ एवं सीमावर्ती घरों का ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण शामिल है, जहाँ भी व्यवहार्य हो। अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 13.59 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,487 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अलावा, नई सौर ऊर्जा स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 30 जून 2025 तक 9961 घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं।

(ग) : नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रमुख पहल की गई हैं:

i. वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक एसईसीआई, एनएचपीसी और एनटीपीसी जैसी एजेंसियों द्वारा 50 गीगावाट/वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत की खरीद बोली।
ii. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ करना।
iii. नामित उपभोक्ताओं द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) और नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) का अनुपालन।
iv. निवेश आकर्षित करने के लिए एक परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है और विभिन्न ग्रिड-कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
v. नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्कीमें जैसे पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास आदि।
vi. "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनर्शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
vii. अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए, "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु रणनीति" में वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली प्रक्रिया की ट्रेजेक्टरी प्रस्तुत की गई है।
viii. सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और इनवर्टर के लिए मानक एवं लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
ix. एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत विक्रय के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट और ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीटीएएम) शुरू किए गए हैं।

(घ) : आरडीएसएस के अंतर्गत, स्मार्ट मीटरिंग सहित 2.82 लाख करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। इसमें सब-स्टेशनों और वितरण ट्रांसफार्मरों का उन्नयन/संवर्द्धन, कंडक्टरों का उन्नयन, मिश्रित-लोड फीडरों का पृथक्करण, आईटी/ओटी कार्य आदि जैसे हानि न्यूनीकरण कार्य और स्मार्ट मीटरिंग कार्य शामिल हैं जो तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, इस स्कीम के अंतर्गत धनराशि जारी करना एटीएंडसी (समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक) हानियों में कमी सहित विभिन्न अन्य मानकों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन पर निर्भर करता है। अब तक संस्वीकृत अवसंरचना कार्यों का लगभग 30% और संस्वीकृत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का लगभग 12% पूरा हो चुका है।

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों और आरडीएसएस और विभिन्न अन्य स्कीमों के अंतर्गत किए गए सुधार उपायों से, वितरण यूटिलिटी की एटीएंडसी हानियां वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 16.12% हो गयी है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3090

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

डीडीयूजीजेवाई और आरडीएसएस के अंतर्गत कार्बी आंगलोंग में विद्युतीकरण

†3090. श्री अमरसिंग टिस्सोः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ में कितने गाँवों का दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या इन जिलों में शत-प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण हो चुका है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्मार्ट/प्रीपेड मीटरिंग की स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पहाड़ी इलाकों में मीटरयुक्त, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : भारत सरकार ने सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में राज्यों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों को गति दी है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत गाँवों का दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें क्रमशः कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों के 650 और 266 गाँव शामिल हैं।राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई और उसके बाद सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत सभी इच्छुक परिवारों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया। सौभाग्य स्कीम के दौरान कुल

2.86 करोड़ परिवारों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों के क्रमशः 61,928 और 14,295 परिवार शामिल हैं। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम(आरडीएसएस) के अंतर्ग छूटे हुए परिवारों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को और सहायता प्रदान कर रही है। इसमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान) के अंतर्गत चिन्हित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के घरों, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत जनजातीय घरों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के घरों और जहाँ भी संभव हो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत दूरस्थ और सीमावर्ती घरों के विद्युतीकरण के कार्य शामिल हैं। अब तक, आरडीएसएस के तहत 13.59 लाख घरों के लिए विद्युतीकरण कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिसमें कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों के क्रमशः 9,011 और 2,604 परिवार शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आज तक नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत 9961 घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण हेतु 50 करोड़ रुपये की राशि के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) : कार्बीआंगलोंग और दीमाहासाओ जिलों में आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों की स्थिति (दिनांक 27.07.2025 तक) निम्नानुसार है:

जिला	**संस्वीकृत स्मार्ट मीटरों की (सं.)**	**संस्थापित स्मार्ट मीटरों की (सं.)**
कार्बी आंगलोंग	1,96,300	79,222
दीमा हासाओ	60,849	12,227

(घ) : भारत सरकार सभी परिवारों के विद्युतीकरण हेतु राज्यों को सहयोग प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठा रही है। चूँकि अधिकांश छूटे हुए घर दूरस्थ, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में हैं, इसलिए आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण के मानदंडों में ढील दी गई है और विद्युतीकरण की लागत की अधिकतम सीमा बढ़ा दी गई है। गैर-विद्युतीकृत घरों को चिह्नित करने के लिए वितरण कम्पनियों द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। जहाँ भी संशोधित मानदंडों के अनुसार व्यवहार्य पाया गया, वहाँ आरडीएसएस के अंतर्गत ग्रिड आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी गई है और शेष क्षेत्रों के लिए नई सौर ऊर्जा स्कीम के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यों को संस्वीकृति दी जा रही है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3147

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

गैर-विद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन

†3147. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) को सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम रही है और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के लिए सकल बजटीय सहायता के रूप में सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार के पास देश में अभी भी बिजली की सार्वभौमिक पहुँच से वंचित रह गए घरों की संख्या संबंधी आकड़े है और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत परिवारों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना है। सौभाग्य के अंतर्गत सभी स्वीकृत कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार स्कीम पूरी हो चुकी है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सौभाग्य अवधि के दौरान लगभग 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

सौभाग्य स्कीम के लिए भारत सरकार द्वारा सकल बजटीय सहायता के रूप में **6330.32 करोड़ रुपये** की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने जहाँ व्यवहार्य पाया, वहाँ सौभाग्य अवधि के दौरान छूटे सभी परिवारों के ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण में राज्यों को संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत सहायता प्रदान की है। अब तक, 13,59,752 परिवारों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 6,487 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) के अंतर्गत चिन्हित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के परिवारों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत चिन्हित अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के लिए विद्युतीकरण कार्य भी शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, नई सौर ऊर्जा स्कीम के अंतर्गत दिनांक 30 जून, 2025 तक 9,961 परिवारों के ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं (राज्यवार विवरण **अनुबंध-III** पर दिया गया है)।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3147

अनुबंध-I

सौभाग्य योजना के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों की संख्या, जिसमें डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि भी शामिल है

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		**2,86,13,424**

*सौभाग्य योजना के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3147

अनुबंध-II

आरडीएसएस के तहत घरेलू विद्युतीकरण को मंज़ूरी

क्रम सं.	राज्यों का नाम	स्वीकृत परिव्यय (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत जीबीएस (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत कुल परिवार
क.	**आरडीएसएस के तहत स्वीकृत अतिरिक्त परिवार**			
1	राजस्थान	1,526.94	916.16	338,702
2	मेघालय	435.70	392.13	50,501
3	मिजोरम	79.90	71.91	15,167
4	नागालैंड	69.55	62.59	10,004
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	251,487
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.55	15,475
7	झारखंड	25.16	15.09	4,853
8	जम्मू एवं कश्मीर	106.70	96.03	15,359
9	बिहार	238.86	143.32	35,467
10	असम	785.55	706.99	127,111
11	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	6,506
12	मणिपुर	214.44	193.00	36,972
13	छत्तीसगढ़	166.55	99.93	34,078
14	केरल	0.33	0.20	40
15	मध्य प्रदेश	1.13	0.68	196
	कुल (क)	**4,678.19**	**3,328.60**	**941,918**
ख.	**वाइब्रेंट विलेजिज में आरडीएसएस के तहत विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत**			
1	हिमाचल प्रदेश*	6.08	5.47	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154
	कुल (ख)	**39.34**	**35.41**	**2,837**
ग.	**पीएम-जनमन के तहत ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण**			
ग1	**आरडीएसएस के तहत स्वीकृत**			
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	24,967
2	बिहार	0.28	0.17	0
3	छत्तीसगढ़	38.17	22.90	7,077
4	झारखंड	74.13	44.47	12,442
5	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290
6	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556
7	राजस्थान	40.34	24.20	17,633
8	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615
9	केरल	0.86	0.52	345
10	तमिलनाडु	29.89	17.94	8,603

11	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884
12	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664
13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669
14	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316
	उप योग (ग1)	**516.15**	**328.31**	**127,061**
ग2	**राज्य योजना के अंतर्गत पीवीटीजी परिवार विद्युतीकरण कवर किया गया ****			
1	गुजरात	0	0	-
2	ओडिशा	0	0	-
3	पश्चिम बंगाल	0	0	-
	उप-योग (ग2)			
	कुल (ग=ग1+ग2)	**516.15**	**328.31**	**127,061**
घ.	**डीए-जेजीयूए के तहत चिन्हित जनजातीय परिवारों का विद्युतीकरण**			
घ1	**स्वीकृत परिवार**			
1	आंध्र प्रदेश	19.12	11.47	4,921
2	अरुणाचल प्रदेश	8.20	7.38	1,938
3	बिहार	61.40	36.84	7,117
4	छत्तीसगढ़	218.44	131.06	39,579
5	हिमाचल प्रदेश	0.49	0.45	93
6	जम्मू एवं कश्मीर	89.84	80.85	13,824
7	झारखंड	92.44	55.47	19,467
8	कर्नाटक	32.14	19.28	4,229
9	केरल	5.73	3.44	1,080
10	मध्य प्रदेश	284.94	170.97	55,795
11	महाराष्ट्र	23.60	14.16	6,961
12	राजस्थान	197.11	118.26	82,842
13	तेलंगाना	110.73	66.44	26,525
14	त्रिपुरा	40.69	36.62	7,677
15	उत्तर प्रदेश	32.21	19.32	6,867
16	उत्तराखंड	0.84	0.75	207
	उप-योग (घ1)	**1,217.91**	**772.77**	**279,122**
घ2	**स्वीकृत सार्वजनिक स्थान**			
1	आंध्र प्रदेश	0.70	0.42	182
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	9
3	हिमाचल प्रदेश	0.05	0.05	7
4	झारखंड	8.25	4.95	1,910
5	केरल	0.15	0.09	17
6	मध्य प्रदेश	3.32	1.99	650
7	राजस्थान	0.70	0.42	195
8	तेलंगाना	2.90	1.74	672
9	त्रिपुरा	2.31	2.08	512

10	उत्तर प्रदेश	0.13	0.08	30
11	उत्तराखंड	0.08	0.07	19
	उप-योग (घ2)	**18.63**	**11.92**	**4,203**
	कुल (घ=घ1+घ2)	**1,236.53**	**784.69**	**283,325**
ङ.	**पीएम-अजय के तहत विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत**			
1	आंध्र प्रदेश	3.50	2.10	811
2	झारखंड	6.14	3.68	1,782
3	मध्य प्रदेश	0.002	0.001	6
4	महाराष्ट्र	6.810	4.086	2,012
	कुल (ङ)	**16.45**	**9.87**	**4,611**
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)	**6,486.67**	**4,486.87**	**1,359,752**

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3147

अनुबंध-III

नई सोलर विद्युत योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऑफ-ग्रिड सोलर आधारित परिवारों का विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत परिवारों की संख्या
क.	आंध्र प्रदेश	1,675
ख.	छत्तीसगढ़	1,578
ग.	झारखंड	2,342
घ.	मध्य प्रदेश	2,060
ङ.	कर्नाटक	179
च.	केरल	98
छ.	तेलंगाना	326
ज.	त्रिपुरा	1,703
कुल		**9,961**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3157

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

गाँवों का विद्युतीकरण

3157. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के सभी गांवों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों का सरकार की विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) आदि स्कीमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान की है जिससे सभी घरों को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आबाद गैर-विद्युतीकृत गाँवों का 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई के दौरान कुल 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया था। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के तहत और उसके बाद सौभाग्य के दौरान, सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिसमें शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र के 1,23,284 घर शामिल हैं। दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी हैं।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत, छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को आगे भी सहायता प्रदान कर रही है। इसमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान) के तहत चिन्हित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवारों डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत आदिवासी परिवारों, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों और जहाँ भी संभव हो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के तहत दूरस्थ और सीमावर्ती घरों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत कार्य शामिल हैं। इसके अलावा, नई सौर ऊर्जा स्कीम के तहत, 30 जून 2025 तक 9961 घरों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये धनराशि के कार्यों को मंजूरी दी गई है।

आरडीएसएस के तहत अब तक, देश भर में 13.59 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,487 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है, जिनमें शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र के 2,924 घर शामिल हैं।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3163
दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली की मांग

†3163. श्री वी. के. श्रीकंदनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 2026-27 तक केरल की अधिकतम बिजली मांग 7,000 मेगावाट से अधिक होने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के कारण देश भर में बिजली की मांग बढ़ी है और यह उम्मीद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के कारण बिजली की मांग में काफी वृद्धि हो सकती है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में वृद्धि के कारण बिजली की बढ़ती मांग से बिजली की कमी हो सकती है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित 20वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण (ईपीएस) रिपोर्ट की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 तक केरल की अनुमानित अधिकतम मांग 6,022 मेगावाट होने का अनुमान है।

(ख) से (घ) : देश में विद्युत की मांग में कई कारकों के कारण वृद्धि हुई है, जैसे कि तीव्र आर्थिक विकास, घरेलू विद्युतीकरण का विस्तार, बढ़ता शहरीकरण, जीवन स्तर में वृद्धि और एयर कंडीशनर तथा इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी ऊर्जा-गहन तकनीकों का बढ़ता उपयोग।

20वें ईपीएस की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2031-32 तक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग के कारण विद्युत की मांग 63,651 मिलियन यूनिट (अनुमानित कुल मांग का लगभग

2.35%) होने का अनुमान है। देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता की योजना बनाई गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग भी शामिल है।

जून, 2025 तक देश में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 485 गीगावाट है। मई, 2023 में प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत योजना (उत्पादन) के अनुसार, देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता वर्ष 2031-32 तक लगभग 870 गीगावाट तक बढ़ने की संभावना है। भारत सरकार ने देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापीय (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट होने का अनुमान है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने न्यूनतम 97,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय क्षमता संस्थापित करने की परिकल्पना की है।

अप्रैल 2023 से जून 2025 तक लगभग 11,680 मेगावाट की तापीय क्षमताएँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, 38,935 मेगावाट (5,695 मेगावाट की संकटग्रस्त तापीय विद्युत परियोजनाओं सहित) तापीय क्षमता वर्तमान में निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2024-25 में 15,440 मेगावाट तापीय क्षमता के लिए अनुबंध अवार्ड किए जा चुके हैं और इनका निर्माण कार्य पूरा होना है। देश में अनुमानित माँग को पूरा करने के लिए, 35,460 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो देश में नियोजन के विभिन्न चरणों में है।

(ii) 13,463.5 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 9,802 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएँ नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(iii) 6,600 मेगावाट परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और इसे 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट परमाणु क्षमता नियोजन और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(iv) 74,150 मेगावाट सौर, 30,080 मेगावाट पवन और 53,750 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा सहित 1,58,450 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 46,010 मेगावाट सौर और 15,990 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा सहित 62,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता नियोजन के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(v) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 8,250 मेगावाट/49,500 मेगावाट घंटा पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, कुल 5,780 मेगावाट/34,680 मेगावाट घंटा क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएँ (पीएसपी) स्वीकृत हैं और अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। इनमें से 3,500 मेगावाट/21,000 मेगावाट घंटा क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) बोली प्रक्रिया में हैं और 15,829 मेगावाट/51,106 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) वर्तमान में निर्माण/बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3185
दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

ओडिशा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर परियोजनाएं

†3185. डॉ. संबित पात्राः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वीकृत सीएसआर संबंधी कार्यों/परियोजनाओं की कुल संख्या का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा राज्य में मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शुरू की गई प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब पाया है और यदि हां, तो ओडिशा में इन सीएसआर परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं; और

(घ) क्या इनमें से किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ने ओडिशा में धार्मिक पर्यटन अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोई सीएसआर परियोजना प्रस्तावित की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : ओडिशा राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वीकृत सीएसआर से संबंधित कार्यों/परियोजनाओं की कुल संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सीपीएसयू	**वर्ष 2022-23**		**वर्ष 2023-24**		**वर्ष 2024-25**	
	कुल सीएसआर कार्य/ परियोजनाएं	**स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)**	**कुल सीएसआर कार्य/ परियोजनाएं**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)**	**कुल सीएसआर कार्य/ परियोजनाएं**	**स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)**
एनटीपीसी लिमिटेड	68	20.51	53	18.77	53	27.30
पावरग्रिड	10	23.70	12	2.92	13	21.46
पीएफसी लिमिटेड	2	7.09	-	-	-	-
आरईसी लिमिटेड	-	-	1	1.15	1	2.12
ग्रिड-इंडिया	-	-	-	-	1	0.26
कुल	**80**	**51.30**	**66**	**22.84**	**68**	**51.14**

गतिविधि/राज्य/ज़िला/कार्यान्वयन एजेंसी-वार की गई सीएसआर गतिविधियों और खर्च की गई धनराशि का विवरण सीपीएसयू की संबंधित वेबसाइटों, जैसे https://ntpc.co.in, https://www.powergrid.in, https://www.pfcindia.co.in, https://recindia.nic.in, https://grid-india.in और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सीएसआर पोर्टल, जैसे csr.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके नियमों के प्रावधानों के अनुसार, सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों का कार्यान्वयन, प्रारंभ वर्ष को छोड़कर, तीन वित्तीय वर्षों तक की निर्धारित समय-सीमा के भीतर, परियोजनाओं/गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, एक निश्चित अवधि में किया जाता है। मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, ओडिशा में चार वर्षों से अधिक समय से कोई भी सीएसआर गतिविधि या परियोजना लंबित नहीं है।

(घ) : मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ओडिशा में धार्मिक पर्यटन अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए कोई सीएसआर परियोजना प्रस्तावित नहीं की है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3189

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

कार्यशील पनबिजली संयंत्र

3189. श्री कीर्ति आज़ादः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में कार्यशील 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले पनबिजली संयंत्रों की संख्या और उनके स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक संयंत्र पर स्थायित्व और पारिस्थितिक प्रभाव के लिए अंतिम अध्ययन कब किया गया था; और

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त संयंत्रों में से किसी भी खतरनाक संयंत्र की पहचान की है और इस संबंध में संबंधित राज्यों को सूचित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : वर्तमान में, 43.18 गीगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 209 जलविद्युत परियोजनाएँ (एचईपी) चालू हो चुकी हैं। विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) और (ग) : संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले जल विद्युत परियोजनाओं के संबंधित विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) से पर्यावरणीय मंजूरी विधिवत प्राप्त की जाती है।

(घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने उन जलविद्युत परियोजनाओं को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया है जो सामान्यतः 1500 मीटर से अधिक ऊँचाई पर स्थित हैं और जो हिमालय क्षेत्र के ऊपरी भाग में बेसिन में सबसे पहले स्थित हैं। ऐसी परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-II** पर दी गई है। ऐसी जलविद्युत परियोजनाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) लागू करना अनिवार्य है। सीईए द्वारा चिन्हित संवेदनशील परियोजनाओं के सभी विकासकर्ताओं को इन परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस लागू करने के लिए एक एडवाइज़री भी जारी की गई।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3189

अनुबंध-I

देश में जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) की राज्यवार/स्टेशनवार संस्थापित क्षमता

क्रम सं.	यूटिलिटी/स्टेशन	ज़िला	यूनिट की संख्या X क्षमता (मेगावाट)	क्षमता (मेगावाट)
	उत्तरी क्षेत्र			
	बीबीएमबी			
	हिमाचल प्रदेश			
1	भाखड़ा लेफ्ट	बिलासपुर	(5X126)	630.00
2	भाखड़ा राइट	बिलासपुर	(5X157)	785.00
3	देहर	मंडी	(6X165)	990.00
4	पांग	कांगड़ा	(6X66)	396.00
	उप-कुल बीबीएमबी (एचपी)			**2801.00**
	एनएचपीसी			
5	बैरा सिउल	चंबा	(3X60)	180.00
6	चमेरा-I	चंबा	(3X180)	540.00
7	चमेरा-II	चंबा	(3X100)	300.00
8	चमेरा-III	चंबा	(3X77)	231.00
9	पारबती-III	कुल्लू	(4X130)	520.00
10	पार्वती-II	कुल्लू	(4X200)	800.00
	उप-कुल एचपी			**2571.00**
	एसजेवीएनएल			
11	नाथपा झाकड़ी	शिमला	(6X250)	1500.00
12	रामपुर	शिमला	(6X68.67)	412.02
	कुल एसजेवीएनएल			**1912.02**
	एनटीपीसी लि.			
13	कोल्डैम	बिलासपुर	(4X200)	800.00
	कुल एनटीपीसी लि.			**800.00**
	कुल केंद्रीय क्षेत्र-एचपी			**8084.02**
	एचपीएसईबीएल			
14	बस्सी	मंडी	(4X16.5)	66.00
15	गिरी बाटा	सिरमौर	(2X30)	60.00
16	लारजी	कुल्लू	(3X42)	126.00
17	संजय	किन्नौर	(3X40)	120.00
	कुल एचपीएसईबीएल			**372.00**
	एचपीपीसीएल			
18	एकीकृत कशांग	किन्नौर	(3X65)	195
19	सैंज	कुल्लू	(2X50)	100
20	सांवरा कुड्डू	शिमला	(3X37)	111
	कुल एचपीपीसीएल			**406**
	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीपीसी)			
21	उहल-III	मंडी	(3x3.33)	**100**
	कुल बीवीपीसी			**100**
	पीएसपीसीएल			
22	शानन	मंडी	(1X50)+(4X15)	110.00
	उप कुल पीएसपीसीएल-एचपी			**110.00**
	कुल राज्य क्षेत्र			**988.00**

	निजी क्षेत्र			
	एमपीसीएल			
23	मलाणा	कुल्लू	(2X43)	86.00
	कुल एमपीसीएल			**86.00**
	जीबीएचपीपीएल			
24	बुधिल	चंबा	(2X35)	70.00
	कुल जीबीएचपीपीएल			**70.00**
	ईपीपीएल			
25	मलाना II	कुल्लू	(2X50)	100.00
	कुल ईपीपीएल			**100.00**
	आईए एनर्जी			
26	चांजू-I	चंबा	(3X12)	36.00
	कुल आईए ऊर्जा			**36.00**
27	एलेन दुहांगन	कुल्लू	(2X96)	192.00
	कुल एडीएचपीएल			**192.00**
	एचबीपीसीएल			
28	बासपा	किन्नौर	(3X100)	300.00
	कुल एचबीपीसीएल			**300.00**
	जेएसडब्ल्यू			
29	करचम वांगटू	किन्नौर	(4X261.25)	1045.00
	कुल जेएसडब्ल्यू			**1045.00**
	एचएसपीपीएल			
30	सोरांग	किन्नौर	(2x50)	100.00
	कुल एचएसपीपीएल			100.00
	जीएमआर			
31	बाजोली होली	चंबा	(3x60)	180.00
	कुल जीएमआर			180.00
	कुल पीवीटी			**2109**
	कुल हिमाचल प्रदेश			**11181.02**
	जम्मू और कश्मीर		_	_
	जेकेएसपीडीसी		_	_
32	बगलिहार-I	रामबन	(3X150)	450.00
33	बगलिहार-II	रामबन	(3X150)	450.00
34	लोअर झेलम	बारामूला	(3X35)	105.00
35	अपर सिंध-II	गांदरबल	(3X35)	105.00
	कुल जेकेएसपीडीसी			**1110.00**
	एनएचपीसी		_	_
36	दुलहस्ती	किश्तवाड़	(3X130)	390.00
37	सलाल-I एवं II	रियासी और उधमपुर	(3X115)	690.00
38	उरी-I	बारामूला	(4X120)	480.00
39	उरी-II	बारामुला	(4X60)	240.00
40	सेवा-II	महस्का	(3X40)	120.00
41	किशनगंगा	बांदीपुरा	(3X110)	330.00
	उप-कुल एनएचपीसी			**2250**
	कुल जम्मू और कश्मीर			**3360**
	लद्दाख			
	एनएचपीसी			
42	चुटक	कारगिल	(4X11)	44.00
43	निमू बाज़गो	लेह	(3X15)	45.00

	उप-कुल एनएचपीसी			**89.00**
	कुल लद्दाख			**89**
	पंजाब			
	पीएसपीसीएल			
44	आनंदपुर साहिब-I	रूपनगर	(2X33.5)	67.00
45	आनंदपुर साहिब-II	रूपनगर	(2X33.5)	67.00
46	मुकेरियां-I	होशियारपुर	(3X15)	45.00
47	मुकेरियां-II	होशियारपुर	(3X15)	45.00
48	मुकेरियां-III	होशियारपुर	(3X19.5)	58.50
49	मुकेरियां-IV	होशियारपुर	(3X19.5)	58.50
50	रंजीत सागर	पठानकोट	(4X150)	600.00
	कुल पीएसपीसीएल			**941.00**
	बीबीएमबी			
51	गंगूवाल	रूपनगर	(2X24.2)+(1X29.25)	77.65
52	कोटला	रूपनगर	(2X24.2)+(1X29.25)	77.65
	उप-योग बीबीएमबी (पंजाब)			**155.30**
	कुल पंजाब			**1096.30**
	राजस्थान		_	_
	आरआरवीयूएनएल		_	_
53	जवाहर सागर	बूंदी	(3X33)	99.00
54	माही बजाज-I	बांसवाड़ा	(2X25)	50.00
55	माही बजाज-II	बांसवाड़ा	(2X45)	90.00
56	आर पी सागर	चित्तौड़गढ़	(4X43)	172.00
	कुल आरआरवीयूएनएल			**411.00**
	कुल राजस्थान			**411.00**
	उत्तराखंड		_	_
	एनएचपीसी		_	_
57	धौलीगंगा	पिथौरागढ़	(4X70)	280.00
58	टनकपुर	चंपावत	(3X31.4)	94.20
	उप-कुल एनएचपीसी			**374.20**
	एसजेवीएनएल			
59	नैटवार मोरी		(2X30)	60.00
	उप-कुल एसजेवीएनएल			**60.00**
	टीएचडीसी		_	_
60	टिहरी चरण-I	टिहरी गढ़वाल	(4X250)	1000.00
61	कोटेश्वर	टिहरी गढ़वाल	(4X100)	400.00
	कुल टीएचडीसी			**1400.00**
	उप कुल केन्द्रीय			**1834.2**
	राज्य क्षेत्र			
	यूजेवीएनएल			
62	चिब्रो (यमुना)	देहरादून	(4X60)	240.00
63	चिल्ला	हरिद्वार	(4X36)	144.00
64	ढकरानी	देहरादून	(3X11.25)	33.75
65	ढालीपुर	देहरादून	(3X17)	51.00
66	खटीमा	उधम सिंह नगर	(3X13.8)	41.40
67	खोदरी	डाक पत्थर	(4X30)	120.00
68	कुल्हाल	देहरादून	(3X10)	30.00
69	मनेरी भाली-I	उत्तरकाशी	(3X30)	90.00
70	मनेरी भाली-II	उत्तरकाशी	(4X76)	304.00

71	रामगंगा	पौडी गढ़वाल	(3X66)	198.00
72	व्यासी	देहरादून	(2x60)	120.00
	कुल यूजेवीएनएल			**1372.15**
	निजी क्षेत्र			
	एएचपीसी			
73	श्रीनगर	टिहरी एवं पौड़ी	(4X82.50)	330.00
	जेपीपीवीएल			
74	विष्णु प्रयाग	चमोली	(4X100)	400.00
	रीन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड			
75	सिंगोली भटवारी	रुद्रप्रयाग	(3x33)	99.00
	उप कुल निजी			**829.00**
	कुल उत्तराखंड			**4035.35**
	यूपीजेवीएनएल		_	_
	उत्तर प्रदेश		_	_
76	खारा	सोनभद्र	(3X24)	72.00
77	माताटीला	ललितपुर	(3X10.2)	30.60
78	ओबरा	सोनभद्र	(3X33)	99.00
79	रिहंद	सिंगरौली	(6X50)	300.00
	कुल यूपीजेवीएनएल			**501.60**
	कुल उत्तरी क्षेत्र			**20674.27**
	पश्चिमी क्षेत्र		_	_
	मध्य प्रदेश		_	_
	एनएचडीसी		_	_
80	इंदिरा सागर	खंडवा	(8X125)	1000.00
81	ओंकारेश्वर	खंडवा	(8X65)	520.00
	उप-कुल एनएचडीसी			**1520.00**
	कुल केन्द्रीय			**1520.00**
	एमपीपीजीसीएल		_	_
82	बाणसागर टोंस-I	सतना	(3X105)	315.00
83	बाणसागर टोंस-III	रीवा	(2X15)	30.00
84	बाणसागर टोंस-II	सतना	(3X20)	60.00
85	बरगी	जबलपुर	(2X45)	90.00
86	गांधीसागर	मन्दसौर	(5X23)	115.00
87	मढ़ीखेरा	शिवपुरी	(3X20)	60.00
88	राजघाट	अशोक नगर	(3X15)	45.00
	उप-कुल एमपीपीजीसीएल			**715.00**
	कुल मध्य प्रदेश			**2235.00**
	महाराष्ट्र		_	_
	महाजेनको		_	_
89	भीरा टेल रेस	रायगढ़	(2X40)	80.00
90	कोयना डीपीएच	सतारा	(2X18)	36.00
91	कोयना-I एवं II	पाटन	(4X70)+(4X80)	600.00
92	कोयना-III	रत्नागिरि	(4X80)	320.00
93	कोयना-IV	सतारा	(4X250)	1000.00
94	तिलारी	कोल्हापुर	(1X60)	60.00
95	वैतरणा	नासिक	(1X60)	60.00
	उप-कुल महाजेनको			**2156.00**
	एमपीपीजीसीएल			
96	पेंच	छिंदवाड़ा	(2X80)	160.00

	उप-कुल एमपीपीजीसीएल			**160.00**
	कुल राज्य क्षेत्र			**2316.00**
	निजी क्षेत्र			
	डोडसन-लिंडब्लॉम हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड (डीएलएचपी)		_	_
97	भंडारधारा चरण-II	अहमदनगर	(1X34)	34.00
	उप-कुल डीएलएचपी			**34.00**
	टाटा पावर कंपनी		_	_
98	भीरा	रायगढ़	(6X25)	150.00
99	भिवपुरी	रायगढ़	(3X24) + (2X1.5)	75.00
100	खोपोली	रायगढ़	(3X24)	72.00
	उप-कुल टीपीसीएल			**297.00**
	कुल निजी (महाराष्ट्र)			**331.00**
	कुल महाराष्ट्र			**2647.00**
	छत्तीसगढ़		_	_
	सीएसपीजीसीएल		_	_
	राज्य क्षेत्र		_	_
101	हसदेवबांगो	कोरबा	(3X40)	120.00
	कुल सीएसपीजीसीएल			**120.00**
	कुल छत्तीसगढ़			**120.00**
	गुजरात		_	_
	राज्य क्षेत्र		_	_
	जीएसईसीएल		_	_
102	उकाई	तापी	(4X75)	300.00
	उप-कुल जीएसईसीएल			**300.00**
	एसएसएनएनएल		_	_
103	सरदार सरोवर सीएचपीएच	नर्मदा	(5X50)	250.00
	उप-कुल एसएसएनएनएल			**250.00**
	कुल गुजरात			**550.00**
	कुल पश्चिमी क्षेत्र			**5552.00**
	दक्षिणी क्षेत्र		_	_
	आंध्र प्रदेश		_	_
	एपीजेनको		_	_
	राज्य क्षेत्र		_	_
104	लोअर सिलेरू	खम्मम	(4X115)	460.00
105	एन जे सागर आरबीसी और एक्सटेंशन	सत्रासला	(3X30)	90.00
106	श्रीशैलम	महबूबनगर	(7X110)	770.00
107	अपर सिलेरू-I और II	विशाखापत्तनम	(4X60)	240.00
108	एन जे सागर टीपीडी	गुंटूर	(2X25)	50.00
	कुल एपीजेनको			**1610.00**
	कुल आंध्र प्रदेश			**1610.00**
	तेलंगाना			
	टीएसजेनको			
	राज्य क्षेत्र			
109	प्रियदर्शनी जुराला	महबूब नगर	(6X39)	234.00
110	पोचमपाद	निजामाबाद	(4X9)	36.00
111	एन जे सागर एमपी	कुरनूल	(1X110)	110.00
112	एन जे सागर एलबीसी	गुंटूर	(2X30)	60.00
113	लोअर जुराला	वानापर्थी	(6X40)	240.00

114	पुलिनचिंथला	सूर्यापेट	(4X30)	120.00
	कुल टीएसजेनको			**800.00**
	कुल तेलंगाना			**800.00**
	कर्नाटक		_	_
	केपीसीएल		_	_
	राज्य क्षेत्र		_	_
115	अलमाटी	बीजापुर	(5X55)+(1X15)	290.00
116	गेरुसोप्पा (शरवती टेल रेस)	उत्तर कन्नड़	(4X60)	240.00
117	घाट प्रभा	बेलगाम	(2X16)	32.00
118	महात्मा गांधी (जोग)	शिमोगा	(4X21.6)+(4X13.2)	139.20
119	कादरा	उत्तर कन्नड़	(3X50)	150.00
120	कालीनदी (नागझारी)	उत्तर कन्नड़	(6X150)	900.00
121	कालीनदी (सुपा)	उत्तर कन्नड़	(2X50)	100.00
122	कोडासाली	उत्तर कन्नड़	(3X40)	120.00
123	लिंगनमक्की	शिमोगा	(2X27.5)	55.00
124	मुनीराबाद	कोप्पल	(2X9)+(1X10)	28.00
125	शरावथी	शिमोगा	(10X103.5)	1035.00
126	शिवसमुंद्रम	मंड्या	(4X6)+(6X3)	42.00
127	वराही	उडुपी	(4X115)	460.00
128	भद्र	चिक्कमगलुर	(2x12)+(1x2)	26.00
	कुल केपीसीएल			**3617.20**
	एपीजेनको			
129	टी बी बांध	बेल्लारी	(4X9)	36.00
130	हम्पी	बेल्लारी	(4X9)	36.00
	उप-कुल एपीजेनको			**72.00**
	कुल कर्नाटक			**3689.20**
	केरल		_	_
	केएसईबी		_	_
	राज्य क्षेत्र		_	_
131	इदमलयार	एर्नाकुलम	(2X37.5)	75.00
132	इडुक्की	इडुक्की	(6X130)	780.00
133	कक्कड़	पथानामथिट्टा	(2X25)	50.00
134	कुट्टीयाडी	कोझिकोड	(3X25)	75.00
135	कुट्टियाडी एक्सटेंशन	कोझिकोड	(1X50)	50.00
136	कुट्टियाडी अतिरिक्त एक्सटेंशन	कोझिकोड	(2X50)	100.00
137	लोअर पेरियार	इडुक्की	(3X60)	180.00
138	नारियामंगलम	इडुक्की	(3X17.55)	52.65
139	पल्लीवसल	इडुक्की	(3X5)+(3X7.5)	37.50
140	पल्लीवासल एक्सटेंशन	इडुक्की	(2x30)	60.00
141	पन्नियार	इडुक्की	(2X15)	30.00
142	पोरिंगलकुट्टू	कोयंबत्तूर	(4X8)	32.00
143	सबिरीगिरी	पथानामथिट्टा	(6X50)	300.00
144	सेंगुलम	इडुक्की	(4X12)	48.00
145	शोलायार	कोयंबटूर	(3X18)	54.00
146	थोटियार	इडुक्की	(1x30+1x10)	40.00
	कुल केएसईबी			**1964.15**
	कुल केरल			**1964.15**
	तमिलनाडु		_	_
	टैंजेडको		_	_

147	अलियार	कोयंबतूर	(1X60)	60.00
148	भवानी कट्टलाई बैराज-I	इरोड	(2X15)	30.00
149	भवानी कट्टलाई बैराज-II	इरोड	(2X15)	30.00
150	भवानी कट्टलाई बैराज-III	इरोड	(2X15)	30.00
151	कोडयार-I	कन्याकुमारी	(1X60)	60.00
152	कोडयार-II	कन्याकुमारी	(1X40)	40.00
153	कुंदह-I	नीलगिरि	(3X20)	60.00
154	कुंदह-II	नीलगिरि	(5X35)	175.00
155	कुंदह-III	कोयंबटूर	(3X60)	180.00
156	कुंदह-IV	कोयंबटूर	(2X50)	100.00
157	कुंदह-v	नीलगिरि	(2X20)	40.00
158	लोअर मेट्टूर-I	सलेम	(2X15)	30.00
159	लोअर मेट्टूर-II	सलेम	(2X15)	30.00
160	लोअर मेट्टूर-III	सलेम	(2X15)	30.00
161	लोअर मेट्टूर-IV	सलेम	(2X15)	30.00
162	मेट्टूर बांध	सलेम	(4X12.5)	50.00
163	मेट्टूर सुरंग	सलेम	(4X50)	200.00
164	मोयर	नीलगिरि	(3X12)	36.00
165	पापनासम	तिरुनेलवेली	(4X8)	32.00
166	पार्सन वी	नीलगिरि	(1X30)	30.00
167	पेरियार	इडुक्की	(3X42)+(1X35)	161.00
168	पायकारा	नीलगिरि	(3X7)+(2X13.6)+(1X11)	59.20
169	पायकारा अल्टीमेट	नीलगिरि	(3X50)	150.00
170	साराकारपथी	कोझिकोड	(1X30)	30.00
171	शोलेयार-I	कोयंबटूर	(2X35)	70.00
172	सुरुलियार	तिरुनेलवेली	(1X35)	35.00
	कुल टैंजेडको			**1778.20**
	कुल तमिलनाडु			**1778.20**
	कुल दक्षिणी क्षेत्र			**9841.55**
	पूर्वी क्षेत्र		_	_
	पश्चिम बंगाल		_	_
	डीवीसी		_	_
173	मैथन	पश्चिम धनबाद	(1X23.2)+(2X20)	63.20
	उप-कुल डीवीसी			**63.20**
	एनएचपीसी		_	_
174	तीस्ता लो डैम-III	दार्जिलिंग	(4X33)	132.00
175	तीस्ता लो बांध-IV	दार्जिलिंग	(4X40)	160.00
	उप कुल एनएचपीसी			**292.00**
	उप-कुल केन्द्रीय			**355.20**
	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल		_	_
176	जलढाका	कालिम्पोंग	(4X9)	36.00
177	रम्मम	पुरुलिया	(4X12.5)	50.00
	उप-कुल डब्ल्यूबीएसईडीसीएल			**86.00**
	कुल पश्चिम बंगाल			**441.20**
	सिक्किम		_	_
	एनएचपीसी		_	_
178	रंगित	गंगटोक	(3X20)	60.00
179	तीस्ता-V	पूर्वी सिक्किम	(3X170)	510.00
	उप-कुल एनएचपीसी			**570.00**

	राज्य क्षेत्र			
	सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड			
180	तीस्ता-III#	उत्तरी सिक्किम	(6X200)	1200.00
	उप-कुल एसयूएल			**1200.00**
	निजी			
	जीआईपीएल (गति इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड)			
181	चुजाचेन	पूर्वी सिक्किम	(2*55)	110.00
	स्नेहा काइनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एसकेपीपीपीएल)			
182	दिक्चु	पूर्वी और उत्तरी सिक्किम	(2*48)	96.00
	शिगा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल)			
183	ताशिदिंग	पश्चिम सिक्किम	(2*48.50)	97.00
	डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (डीईपीएल)			
184	जोरेथांग लूप	दक्षिण/पश्चिम	(2*48)	96.00
	एमबीपीसी			
185	रोंगनिचू	पूर्वी सिक्किम	(2*56.5)	113.00
	उप-कुल निजी			**512.00**
	कुल सिक्किम			**2282.00**
	झारखंड		_	_
186	पंचेत	धनबाद	(2X40)	80.00
	उप-कुल डीवीसी			**80.00**
	जेयूयूएनएल		_	_
187	सुबर्णरेखा-I	रांची	(1X65)	65.00
188	सुबर्णरेखा-II	रांची	(1X65)	65.00
	कुल जेयूयूएनएल			**130.00**
	कुल झारखण्ड			**210.00**
	ओडिशा		_	_
	ओएचपीसी		_	_
189	बालीमेला	मल्कानगिरी	(6X60)+(2X75)	510.00
190	हीराकुंड (बुर्ला)	संबलपुर	(2X43.65)+(1X37.5)+(2X49.5)+(2X32)	287.80
191	हीराकुंड (चिपलीमा)	संबलपुर	(3X24)	72.00
192	रेंगाली	अंगुल	(5X50)	250.00
193	ऊपरी इंद्रावती	कालाहांडी	(4X150)	600.00
194	ऊपरी कोलाब	कोरापुट	(4X80)	320.00
	कुल ओएचपीसी			**2039.80**
	एपीजेनको			
195	मचकुंड	कोरापुट	(3X17)+(3X21.25)	114.75
	उप-कुल एपीजेनको			**114.75**
	कुल ओडिशा			**2154.55**
	कुल पूर्वी क्षेत्र			**5087.75**
	पूर्वोत्तर क्षेत्र		_	_
	अरुणाचल प्रदेश		_	_
	नीपको		_	_
196	रंगानदी	लोअर सुबनसिरी	(3X135)	405.00
197	पारे	डिकरोंग	(2X55)	110.00
198	कामेंग	बिचोम और टेंगा/कामेंग	(4X150)	600.00

	उप-कुल नीपको अरुणाचल			**1115.00**
	कुल अरुणाचल प्रदेश			**1115.00**
	असम		_	_
	नीपको		_	_
199	कोपोली	दीमा हासाओ	(4X50)	200.00
200	खांडोंग	दीमा हासाओ	(2X25)	50.00
	उप-कुल नीपको असम			**250.00**
	एपीजीसीएल		_	_
201	कार्बी लांगपी	कार्बी अंगलोंग	(2X50)	100.00
	उप-कुल एपीजीसीएल			**100.00**
	कुल असम			**350.00**
	मिजोरम			
	नीपको			
202	तुइरिअल	कोलासिब	(2X30)	60.00
	कुल नीपको मिजोरम			**60.00**
	कुल मिज़ोरम			**60.00**
	नागालैंड		_	_
	नीपको		_	_
203	दोयांग	वोखा	(3X25)	75.00
	कुल-नीपको नागालैंड			**75.00**
	कुल नागालैंड			**75.000**
	मणिपुर		_	_
	एनएचपीसी		_	_
204	लोकतक	चुराचांदपुर	(3X35)	105.00
	उप-कुल एनएचपीसी			**105.00**
	कुल मणिपुर			**105.000**
	मेघालय		_	_
	एमईपीजीसीएल		_	_
205	किर्डेमकुलई	आरआई-भोई	(2X30)	60.00
206	उमियाम चरण-I	आरआई-भोई	(4X9)	36.00
207	न्यू उम्त्रु	आरआई-भोई	(2X20)	40.00
208	उमियाम चरण-IV	आरआई-भोई	(2X30)	60.00
209	मिंटडू चरण-I	जैंतिया हिल्स	(3X42)	126.00
	कुल एमईपीजीसीएल			**322.00**
	कुल मेघालय			**322.00**
	कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र			**2027.00**
	कुल			**43182.57**

नोट:

क. आर-रन ऑफ रिवर, आर(पी)- पोंडेज के साथ रन ऑफ रिवर, एमपी- बहुउद्देशीय तथा एस-स्टोरेज

ख. (#):तीस्ता-III बांध स्थल पर एक फ्लेश फ्लड आई उसे बहा ले गई।

****

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3189

अनुबंध-II

अरक्षित जलविद्युत परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम एवं संस्थापित क्षमता	विकासकर्ता	क्षेत्र	राज्य	परियोजना की स्थिति
1	सेवा-II (120 मेगावाट)	एनएचपीसी	केंद्रीय	जम्मू एवं कश्मीर	कमीशन किया गया
2	बैरा सिउल (180 मेगावाट)	एनएचपीसी	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
3	धौलीगंगा (280 मेगावाट)	एनएचपीसी	केंद्रीय	उत्तराखंड	कमीशन किया गया
4	निमू बाज़गो (45 मेगावाट)	एनएचपीसी	केंद्रीय	लद्दाख	कमीशन किया गया
5	चुटक (44 मेगावाट)	एनएचपीसी	केंद्रीय	लद्दाख	कमीशन किया गया
6	किशनगंगा (330 मेगावाट)	एनएचपीसी	केंद्रीय	जम्मू एवं कश्मीर	कमीशन किया गया
7	रंगित (60 मेगावाट)	एनएचपीसी	केंद्रीय	सिक्किम	कमीशन किया गया
8	चमेरा-III (231 मेगावाट)	एनएचपीसी	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
9	पैन्योर लोअर (405 मेगावाट)	नीपको	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
10	कामेंग (600 मेगावाट)	नीपको	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
11	नाथपा झाकड़ी (1500 मेगावाट)	एसजेवीएन	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
12	व्यासी (120 मेगावाट)	यूजेवीएनएल	राज्य	उत्तराखंड	कमीशन किया गया
13	मनेरिभाली-I (90 मेगावाट)	यूजेवीएनएल	राज्य	उत्तराखंड	कमीशन किया गया
14	मनेरिभाली-II (धरासू) (304 मेगावाट)	यूजेवीएनएल	राज्य	उत्तराखंड	कमीशन किया गया
15	बुद्धिल (70 मेगावाट)	ग्रीनको	निजी	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
16	मलाणा-II (100 मेगावाट)	ईपीपीएल/ग्रीनको	निजी	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
17	सिंगोली भटवारी (99 मेगावाट)	रिन्यू जल ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड	निजी	उत्तराखंड	कमीशन किया गया
18	बस्पा-II (300 मेगावाट)	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	निजी	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
19	करचम वांगटू (1045 मेगावाट)	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	निजी	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
20	चांजू-I (36 मेगावाट)	आईए हाइड्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	निजी	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
21	विष्णुप्रयाग (400 मेगावाट)	जेपीवीएल	निजी	उत्तराखंड	कमीशन किया गया
22	चुज़ाचेन (110 मेगावाट)	जीआईपीएल	निजी	सिक्किम	कमीशन किया गया

23	ताशिदिंग (97 मेगावाट)	शिगा एनर्जी	निजी	सिक्किम	कमीशन किया गया
24	रोंगनिचू (113 मेगावाट)	एमबीपीसीएल	निजी	सिक्किम	कमीशन किया गया
25	मलाणा (86 मेगावाट)	एमपीसीएल	निजी	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
26	बाजोली होली (180 मेगावाट)	जीएमआर	निजी	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
27	सैंज (100 मेगावाट)	एचपीपीसीएल	राज्य	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
28	एलेन दुहांगन (192 मेगावाट)	एडीएचपीएल	निजी	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
29	सुबनसिरी लोअर (2000 मेगावाट)	एनएचपीसी	केंद्रीय	अरुणाचल प्रदेश	निर्माणाधीन
30	पाकल दुल (1000 मेगावाट)	सीवीपीपीएल	केंद्रीय	जम्मू एवं कश्मीर	निर्माणाधीन
31	कीरू (624 मेगावाट)	सीवीपीपीएल	केंद्रीय	जम्मू एवं कश्मीर	निर्माणाधीन
32	तपोवन विष्णुगाड (520 मेगावाट)	एनटीपीसी	केंद्रीय	उत्तराखंड	निर्माणाधीन
33	तिदोंग-I (100 मेगावाट)	स्टेटक्राफ्ट आईपीएल	निजी	हिमाचल प्रदेश	निर्माणाधीन
34	कुटेहर (240 मेगावाट)	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	निजी	हिमाचल प्रदेश	निर्माणाधीन
35	पार्वती चरण II (800 मेगावाट)	एनएचपीसी	केंद्रीय	हिमाचल प्रदेश	निर्माणाधीन
36	नैटवार मोरी (60 मेगावाट)	एसजेवीएनएल	केंद्रीय	उत्तराखंड	कमीशन किया गया
37	एकीकृत काशांग (195 मेगावाट)	एचपीपीसीएल	राज्य	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
38	दिकचू (96 मेगावाट)	ग्रीनको	निजी	सिक्किम	कमीशन किया गया
39	शोंगटोंग करचम (450 मेगावाट)	एचपीपीसीएल	राज्य	हिमाचल प्रदेश	निर्माणाधीन
40	सोरांग (100 मेगावाट)	ग्रीनको	निजी	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
41	सावरा कुड्डू (111 मेगावाट)	एचपीपीसीएल	राज्य	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
42	विष्णुगाड पीपलकोटी (444 मेगावाट)	टीएचडीसी	केंद्रीय	उत्तराखंड	निर्माणाधीन
43	शनान (110 मेगावाट)	पीएसपीसीएल	राज्य	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
44	तीस्ता III (1200 मेगावाट)	एसयूएल	राज्य	सिक्किम	कमीशन किया गया (प्रचालन में नहीं)
45	संजय (भाभा) (120 मेगावाट)	एचपीएसईबी	राज्य	हिमाचल प्रदेश	कमीशन किया गया
46	ऊपरी सिंध-II (105 मेगावाट)	जेकेएसपीडीसी	राज्य	जम्मू एवं कश्मीर	कमीशन किया गया

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3210

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

हरियाणा और पंजाब के बीच जल बंटवारा

†3210. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से हरियाणा को अतिरिक्त जल जारी करने संबंधी अपने आदेश को वापस लेने की पंजाब की याचिका को खारिज कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को बीबीएमबी द्वारा कथित रूप से तथ्यों को छिपाने या 2 मई, 2025 की बैठक के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया संबंधी समस्याओं के बारे में पंजाब की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन समस्याओं को दूर करने और अंतर-राज्यीय जल आवंटन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी-12858-2025 में सीएम-7264-सीडब्ल्यूपी-2025 में उठाए गए। दिनांक 26.05.2025 के आदेश के तहत पंजाब की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (बीबीएमबी) से हरियाणा को अतिरिक्त पानी जारी करने के संबंध में अपने आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी।

(ख), (ग) और (घ) : बीबीएमबी में भागीदार राज्यों के बीच जल वितरण, बीबीएमबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली तकनीकी समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें भागीदार राज्यों के मुख्य अभियंता और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के मुख्य अभियंता सदस्य हैं। तकनीकी समिति, राज्यों की जल उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर, जल का निष्पक्ष और पारदर्शी वितरण करती है। भारत सरकार को पंजाब से जल वितरण के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही, बीबीएमबी में भागीदार राज्यों के बीच जल वितरण में भारत सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3216
दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली संयंत्रों द्वारा राख का निपटान

†3216. श्रीमती कमलेश जांगड़ेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वेदांता समूह (भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड) के बाल्को द्वारा संचालित किए जा रहे विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त कोयले से उत्पन्न राख के निपटान हेतु कोई व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो राख को कहाँ-कहाँ डंप किया जा रहा है;

(घ) वर्ष 2024-2025 से अब तक उत्पन्न राख की कुल मात्रा कितनी है; और

(ङ) राख बांध के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : मेसर्स भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 540 मेगावाट (4x135 मेगावाट) और 1200 मेगावाट (4x300 मेगावाट) क्षमता के दो कैप्टिव विद्युत संयंत्र संचालित कर रही है।

(ख) : 540 मेगावाट विद्युत संयंत्र के लिए 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कुल 03 साइलो और 1200 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 1000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कुल 05 साइलो स्थापित किए गए हैं ताकि फ्लाई ऐश को शुष्क रूप में संग्रहित किया जा सके और खदान के खाली/निचले क्षेत्रों को भरने सहित विभिन्न उपयोग उद्देश्यों के लिए आपूर्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त, ग्राम-परसाभाठा, तहसील एवं जिला-कोरबा में ऐश डाइक की सुविधा भी शुरू गई है।

(ग) : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ऐश को निम्नलिखित स्थानों पर डंप किया जा रहा है:

1. मानिकपुर ओपन कास्ट कोयला खदान, एसईसीएल, कोरबा क्षेत्र, जिला-कोरबा में खदान के खाली क्षेत्र की भराई।
2. ग्राम-घटद्वारी, तहसील-बरपाली, जिला-कोरबा में खदान क्वॉरी भराई।

(घ) : दिनांक 01.04.2024 से 30.06.2025 तक की अवधि के दौरान 540 मेगावाट विद्युत संयंत्र और 1200 मेगावाट विद्युत संयंत्र से उत्पन्न राख की कुल मात्रा क्रमशः 13,94,554.44 मीट्रिक टन और 29,45,803.87 मीट्रिक टन है।

(ङ) : कुल ऐश डाइक क्षेत्र 151.75 हेक्टेयर है (कार्यात्मक ऐश डाइक क्षेत्र 93.46 हेक्टेयर है और समाप्त एवं पुनः उपयोग में लाये जाने वाला ऐश डाइक क्षेत्र 58.28 हेक्टेयर है)।

****